राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान और एलजीबीटीआईक्यू (LGBTIQ) समुदाय – दक्षिण एशियाई परिप्रेक्ष्य

शब्दकोष

मानवाधिकार ऐसे बुनियादी अधिकार है जो हर किसी को मिले हुए है। जीने का अधिकार, शारीरिक सुरक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, निजता का अधिकार, संघठन बनाने का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रा, पुलिस उत्पीड़न से सुरक्षा आदि मानवाधिकारों के कुछ उदाहरण है।

एलजीबीटीआईक्यू (LGBTIQ) समलैंगिक (गे और लेस्बियन), उभयलिंगी (बिसेक्सयुअल), ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और क्वीर को कहते हैं। ये समुदाय स्त्री और पुरुष से अलग लिंग पहचान और अभिव्यक्ति रखता है। इनमें ऐसे लोग भी शामिल है जो किसी भी उपरोक्त वर्ग में नहीं आते। दक्षिण एशिया में इन लोगों को विभिन्न नामों से जाना जाता है जैसे कि हिजरा, ख्वाजसिरकोठी, मेटि इत्यादि।

शिकायत ऐसे किसी लिखित या मुँहज़बानी आवेदन को कहते है जो मानवाधिकार हनन का विस्तृत ब्यौरा देती हो। उसमें घटना से जुड़े तथ्यों का बयान होता है जैसे कि किन अधिकारों का उल्लंघन हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया और इस तरह के बाकि जानकारियाँ।

शिकायतकर्ता उसे कहेंगे जो आयोग में अपनी शिकायत दायर करता है।

अभियुक्त वो है जिसके विरूध मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत दायर हुई है।

१. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका क्या है?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने देश में मानवाधिकारों की सुरक्षा करता है। मानवाधिकार व्यक्ति के मूलभूत अधिकार हैं, जो स्वतंत्र और गरिमापूर्व जीवन के लिए आवश्यक है। अंतराष्ट्रीय संधियों में मौजूद इन अधिकारों को देशों ने अपने राष्ट्रीय संविधान में अपनाया है। इन अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आयोग पर हैं। आयोग मानवाधिकार हनन के आरोपो की जांच करता है और उल्लंघन करने वालो के खिलाफ सजा की सिफारिश करता है। अमूमन आयोग लोक सेवको जैसे कि पुलिस, सरकारी कर्मचारी

और सार्वजनिक प्राधिकरणों के खिलाफ जांच करता है लेकिन जरुरत पड़ने पर निजी क्षेत्र के संस्थानों पर भी करवाई कर सकता है।

२. एलजीबीटीआईक्यू समुदाय मानवाधिकार हनन के किन मामलो का सामना करता है?

समाज के बाकी सदस्यों की तरह एक एलजीबीटीआईक्यू व्यक्ति भी सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीना चाहता ह और ऐसा मानवाधिकारों के बिना सम्भव नहीं है। दुरभाग्यपूर्ण, दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों में समलैंगिकता कानूनन अपराध है जिस वजह से एलजीबीटीआईक्यू समुदाय को अपने मानवाधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। इन कानूनों की वजह से पुलिस उत्पीड़न इस समुदाय के लिए आम है।

एलजीबीटीआईक्यू समुदाय को समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जीवन के हर मोड़ पर वो चाहे घर, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या हॉस्पिटल हो, इस समुदाय के साथ भेदभाव किया जाता है। एलजीबीटीआईक्यू व्यक्तियों को नौकरियां मुश्किल से मिलती है और कई बार उन्हें नौकरियों से सिर्फ इस लिए निकाल दिया जाता है क्योंकि वो एलजीबीटीआईक्यू है। कई देशों में इनके पास किसी भी तरह का पहचान पत्र नहीं होता। अक्सर इन्हें शारीरिक और भावनात्मक शोषण जैसे शारीरिक हिंसा, ब्लैकमेल, जबरन उगाही, अफवाहे, भड़काऊ भाषणों आदि का सामना करना पड़ता है। इन वजहों से इनकी सुरक्षा और सम्मान पर हमेशा प्रश्नचिन्ह लगा रहता है।

एलजीबीटीआईक्यू संस्थाएँ जो इस समुदाय के उत्थान के लिए काम करती है उन्हें हिंसा और कानूनी प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें बंद भी करवा दिया जाता है। उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वास्थ्य के अधिकार का खुलेआम उल्लंघन होता है।

३. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एलजीबीटीआईक्यू समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा कैसे करता है?

एलजीबीटीआईक्यू समुदाय का सदस्य जिसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है या उसका कोई प्रतिनिधी अपनी शिकायत के साथ आयोग जा सकता है। शिकायत मिलने पर आयोग उसकी जांच करता है और उसके सही पाए जाने पर उपयुक्त करवाई करता है।

एक संस्था भी एलजीबीटीआईक्यू व्यक्ति के बदले में आयोग से शिकायत कर सकती है।

आयोग में शिकायत करने की प्रक्रिया अत्यंत सरल है। बिना वकील के भी शिकायत की जा सकती है।

आयोग स्वयं भी मानवाधिकार हनन के मामलो का संज्ञान ले सकता है।

५. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की प्रक्रिया क्या है?

आयोग में शिकायत करने की प्रक्रिया अत्यंत सरल है। बिना किसी फिस के शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अगर शिकायत करने में पैसे खर्च होते है तो कुछ देशों के आयोग के पास उस खर्च को लौटाने की शक्ति है। श्रीलंका का मानवाधिकार आयोग इसका उदाहरण है।

साधारणत शिकायत में मानवाधिकार हनन के आरोंपो का विस्तृत ब्यौरा होना चाहिए और कथित घटना के उपरान्त शीघ्र अतिशीघ्र आवेदन करना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि कुछ देशों के आयोगों ने शिकायत दर्ज करने की समय सीमा तय की हुई है। उदाहरण भारत है, जहाँ ये सीमा एक साल है। वही पाकिस्तान में तीन महीने का समय आदर्श माना जाता है।

६. शिकायत दर्ज होने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या कार्यवाही करता है?

आयोग शिकायत के विभिन्न पहलूवों की गहराई पूर्वक जांच करता है। शिकायत की जांच करते समय आयोग के पास एक कोर्ट की सारी शक्तियां होती है। आयोग घटना से जुड़े साक्षियों से साक्ष्य इकठ्ठा करने हेतु अपने समक्ष हाजिर होने का आदेश दे सकता है और शपथ पत्र पर उनसे गवाही ले सकता है।

७. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शिकायतकर्ता की किस तरह से मदद करता है?

शिकायत के सही पाने जाने पर आयोग शिकायतकर्ता की बहुत तरीकों से मदद करता है। आयोग सरकार से मामले में उचित कार्यवाही करने की सिफारिश करता है जैसे की पीड़ित या उसके परिवार को मुहावजा देना और अपराधी पर मुकदमा चलाना।

आयोग मानवाधिकार हनन के मामलों में कोर्ट भी जा सकता है। कोर्ट अभियुक्त से अपनी सफाई पेश करने को कह सकता है और उसपर आर्थिक दंड भी लगा सकता है। अगर पीड़ित हिरासत में है तो पीड़ित की अवस्था जानने हेतु आयोग कारावास का निरिक्षण कर सकता है।

कुछ देशों में आयोग दोनों पक्षो को पहले सुलह करने को प्रोत्साहित करता है और सुलह न होने पर ही कार्यवाही करता है। श्रीलंका का मानवाधिकार आयोग इसका उदाहरण है।

दक्षिण एशिया के कुछ देशों ने एलजीबीटीआईक्यू समुदाय के मानवाधिकारों की रक्षा हेतु अनेकों कदम उठाये है जैसे कि - इस आधार पर नौकरी से निकाले गए लोगो को उनकी नौकरियाँ वापस कराना, पुलिस उत्पीड़न के विरुद्ध कठोर कदम उठाना और ट्रांसजेंडर शिक्षक के साथ भेदभाव करने पर कॉलेज के विरुद्ध नोटिस जारी करना।

८. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शिकायतकर्ता की निजता की सुरक्षा कैसे करता है?

शिकायतकर्ता को अपने आवेदन में आयोग से यह जरूर निवेदन करना चाहिए की आयोग शिकायतकर्ता और उससे जुड़े हुए लोगों की निजता की सुरक्षा हेतु सारे जरूरी कदम उठाये। ऐसा निवेदन मिलने पर आयोग उपयुक्त सभी कदम उठाता है।

आप अपने देश के मानावाधिकार आयोग से जुडी जानकारियों के लिए और शिकायत दर्ज कराने की विधि जानने के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाये-

भारत – http://www.nhrc.nic.in/

अफ़ग़ानिस्तान - http://www.aihrc.org.af/

बांग्लादेश - http://www.nhrc.org.bd/

नेपाल - http://www.nhrcnepal.org/

पाकिस्तान - http://www.nchr.gov.pk/

श्रीलंका - http://www.hrcsl.lk/